ANNEXURE-II

STATUS OF IMPLEMENTATION OF PWD ACT, 1995
As on 31-03-2017

1- Name of State/UT: उत्तर प्रदेश

2- Population of the State/UT (indicate the year of Census/Survey):
19.96 करोड़ (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)

3- Population of person with disabilities & percentage- 4157514 (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) 2.08 प्रतिशत

4- Number of Districts and Blocks in the State/UT: 75 जनपद, 821 ब्लाक

5- Whether Medical Authorities have been notified for issuance of Disability Certificates in each Districts and CHC & PHC of the State/UTs:
—हॉ, राज्य के अन्तर्गत विकलांगता प्रमाण—पत्र निर्गत किए जाने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण एवं सरलीकरण करते हुए समय—समय पर शा0सं0 125/5-7-2004-15-07/2002 दि0 19-01-2004, 210/65-1-2004-153/2000 दि0 23-02-2004, GO.no. 1466/05-7-2003-15-7/2002 दि0.02-07-2003 जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में शा0सं0 519/65—3—2014—62/98 दि0 3 सितम्बर 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) (प्रथम संशोधन) नियमावली—2014 का प्रख्यापन किया गया है। तदानुसार दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए जनपद स्तर, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र पर तैनात उन सभी सरकारी चिकित्साधिकारियों को, जो एम0बी0बी0एस0 योग्यता रखते हैं, को भी विभागीय योजनाओं हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे समयबद्ध एवं चरणबद्ध ढंग से राज्य के समस्त दिव्यांगजन को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की कार्यवाही करें। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चौदहवीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक हेतु उपलब्ध करायी गई सूचनानुसार कुल 1943868 जारी किये गये है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 (01-04-2016 से 31-03-2017 तक) में **69** जनपदों की उपलब्ध करायी गई रिपोर्ट के

अनुसार कुल **117035** विकलांगता प्रमाण पत्र तक जारी किए गए है**,** शेष **06** जनपदों की रिपोर्ट अप्राप्त है। इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार राज्य के अंतर्गत 31-03-2017 तक कुल 20**60903** विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये गए हैं।

6- Number of Disticts where Medical Authorities has not been constituted: लागू नही है।

7- Total No. of Disabilities Certificates issued in the State: 20**60903** (बिन्दु संख्या 05 के अनुसार)

8- Number of Disabilities Certificates issued during the Financial Year (ie. 01.04.2015 to 31.03.2016) : **117035** (**69** जनपदों की उपलब्ध करायी गई रिपोर्ट के अनुसार)

9- State Coordination & Executive Committee (Section 13 to 24 :

(A) State Coordination Committee:

(i) Whether State Coordination Committee(SCC) has been consituted and is functional ?

: दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य समन्वय समिति गठित एवं क्रियाशील है।

(ii) If not, the reason thereof & steps taken to expedite the same? लागू नही है।

(iii) Number of SCC meetings held during last financial year with the date of last meeting held and the major outcome of the meeting:

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य समन्वय समिति गठित एवं क्रियाशील है। समिति की कुल 08 बैठकें आयोजित की गईं।

इस कमेटी की अन्तिम बैठक दिनांक 31-05-2016 को सम्पन्न हुई है।

(B) State Executive Committee :

(i) Whether the State Executive Committee(SEC) has been constituted and is functional ?

. हॉ, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य कार्यकारी समिति गठित एवं क्रियाशील है जिसका पुनर्गठन भी किया गया है।

(ii) If not, the reason thereof & steps taken to expedite the same? लागू नही है।

(iii) Number of SEC meetings held during last financial year with the date of last meeting held :

. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत राज्य कार्यकारी समिति गठित एवं क्रियाशील है जिसका पुनर्गठन भी किया गया है। समिति की कुल 10 बैठकें आयोजित की गईं तथा समिति की गत बैठक दिनांक 14 जनवरी 2015 को सम्पन्न हुई।

10 Action taken for Prevention and Early detection of Disabilities (Section 25)

(i) Were any surveys under taken for detecting causes of occurrence of disabilities? if yes, when and where?

. राज्य के अन्तर्गत दिव्यांगता के कारणों की पहचान हेतु सर्वे कार्य के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा रू0 47.644 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2014–15 में दिव्यांगता की प्राथमिक पहचान हेतु राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग द्वारा कुल 9714 सर्वे किए गए हैं।

(ii) No. of Districts covered ?

(iii) Whether all children are being screened for identifying at risk cases ?

–राज्य के अन्तर्गत स्कूल हैल्थ कार्यक्रम में अन्तर्गत सभी बच्चों का स्वास्थ परीक्षण किया जाता है तथा रिस्क केसेज़ के रूप में बच्चों को चिन्हांकित कर उनकी दिव्यांगता का उचित इलाज उपलब्ध कराया जाता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 9714 सर्वे किए गए जिनमें 1078884 बच्चों को रिस्क केस के रूप में चिन्हित किए गए।

(iv) if not, action taken to this effect? लागू नही है।

(v) Measures taken to prevent disabilities? :

राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग, उ0प्र0 एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा दिव्यांगता की रोकथाम हेतु निम्नानुसार विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं:–

–राज्य के चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एन0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत आर0वी0एस0के0 कार्यक्रम राज्य के समस्त जनपदों में चलाया जा रहा है।

–राज्य के सभी जनपदों में नियमित रूप से पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जा रहा है।

- उ0प्र0 में विकलांगता निवारण, बचाव, उपचार एवं पुनर्वासन के क्षेत्र में कार्यरत 20 स्वैच्छिक संस्थाओं को रु0 8.9 लाख का अनुदान जनपद स्तर पर कार्यशाला के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु दिया गया है।

– बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में संचालित मनोविकास केन्द्र में जे0ई0 एवं ए0ई0एस0 के केसेस की चिकित्सा एवं पुनर्वास हेतु 100 बेडस का चिकित्सा एवं पुनर्वास सेन्टर चल रहा है। इस केन्द्र में विभिन्न यूनिट क्रमशः आई0क्यू0 टेस्ट यूनिट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट, किजियोथेरेपी यूनिट, ऑडियोलोजी यूनिट, व्यवसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सलिंग एवं सोशल एजुकेशनल यूनिट तथा सामान्य प्रशासन यूनिट को परिसर में स्थित मनोविकास केन्द्र (आरोग्य भवन) में जापानीस इंसीफिलाइटिस से ग्रसित दिव्यांग मरीजों को पुनर्वास सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

– के0जी0एम0यू0 लखनऊ में मेडिकल एण्ड रिहैब्लीटेशन सेन्टर संचालित है तथा वाराणसी हेतु भी प्रस्तवित है।

– दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा वित्त पोषित पोलियो करैक्टिव सर्जरी हेतु विशेष कार्यक्रम 0 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। पालियो करैक्टिव सर्जरी कार्यकम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 43 जनपदों में 2142 बच्चों की पोलियो करैक्टिव सजरी सफलतापूर्वक की गई है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें तथा शिक्षा हेतु स्कूल जाने के लिए सक्षम हो सके।

– डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लखनऊ में स्टेट रेफरल सेन्टर की सथापना की गई है जिसके अन्तर्गत फीजियोथैरेपी, आकूपैशनल थैरेपी, स्पीच थैरेपी, आडियोमेटरी एवं मानसिक मन्दित दिव्यांगजन के लिए आई क्यू का आंकलन आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

–राज्य के अन्तर्गत 03 से 07 उम्र तक के वी0आई0, एच0आई0 एवं एम0आर0 बच्चों को प्री-प्राइमरी विशेष शिक्षा एवं अन्य पुर्नवास सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु 08 मण्डल मुख्यालयों यथा– लखनऊ वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, झॉसी, बरेली, सहारनपुर तथा

गौतमबुद्ध नगर, पर बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना की गई है जिसमें 298 बच्चे प्रवेशित हैं जिन्हें यूनीफार्म, पठन पाठन सामाग्री, निःशुल्क आवागमन की सुविधा दी जाती है । इसके अतिरिक्त राज्य के जनपद अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बस्ती आजमगढ़, कानपुर, गोण्डा, फैजाबाद एवं गोरखपुर में 10 नवीन बचपन डे- केयर सेन्टर की कार्यवाही प्रचलन में है जोकि 30-06-2017 तक संचालित होना प्रस्तावित है।

– दिव्यांगता की रोकथाम हेतु ट्रामा सेन्टर/जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ केन्दों पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों की प्राथमिक जॉच करते हुए चिहित दिव्यांगजन का उचित उपचार कराया जाता है जिसके अन्तर्गत शल्य चिकित्सा, फिजियोथैरेपी तथा पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

–कुष्ठ रोगियों को विशेष मुलायम जूते, सहायक उपकरण तथा अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती हे। इसके अतिरिक्त रिस्क केसेज़ वाले मरीजों को करैक्टिव सर्जरी, फीजियो थैरेपी व अन्य पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

–गर्भवती महिलाओं की प्रसव से पूर्व जॉच द्वारा शिशु की दिव्यांगता ज्ञात होने पर एम0टी0पी0 का प्रावधान है। प्रसव के दौरान सावधानियों के साथ प्रसव कराया जाता है जिससे प्रसव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं, जैसे केपटमैडुर्स एवं पैरालिसिस आदि से बचाव हो सके। प्रसव के पश्चात शिशु की चिकित्सकीय जॉच कर दिव्यांगता को चिन्हित करके प्राथमिक उपचार किया जाता है।

–दिव्यांगजन बच्चों में दिव्यांगता की प्राथमिक पहचान, बचाव व रोकथाम आदि कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं आशा बहुओं का पूर्ण सहयोग लिया जाता है तथा प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों पर ए0एन0एम0एस0 बहु स्वास्थ कार्यकर्ताओं की विशेष सेवाएं प्राप्त की जाती हैं।

–स्वस्थता अभियान रैली तथा रेडियो, टी0वी0 व अन्य प्रचार प्रसार माध्यमों से दिव्यांगता की प्राथमिक पहचान, रोकथाम एवं बचाव के सम्बन्ध में जनजागरूकता हेतु प्रचार प्रसार किया जाता है।

(vi) Number of persons benefited in the State/UT (District/Block wise):
रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(vii) What action is being taken for creating awarenes on health, hygiene, sanitation:
-- स्वास्थ्य शिक्षा का उचित प्रचार–प्रसार किया जाता है तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका द्वारा सफाई/स्वच्छ जल की आपूर्ति कराया जाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य स्वास्थ्य वं स्वच्छता समितियों को बजट उपलब्ध कराकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। स्वच्छता रैलियों द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाता है।

(viii) Whether staff at Primary Health Centres are trained on prevention and early detection of disabilities :
-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात सभी स्टाफ को विकलांगता की प्रारम्भिक जॉच तथा चिन्हांकन करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

(ix) What measures or pre-natal, peri-natal, post-natal care of mother and child are being taken ?
1– गर्भवती महिलाओं की प्रसव के पूर्व जॉच/अल्ट्रासाउण्ड द्वारा शिशु की दिव्यांगता ज्ञात होने पर एम0टी0पी0 का प्रावधान।

2– प्रसव के दौरान सावधानियॉ अपनाते हुए प्रसव कराया जाता है, जिससे कि प्रसव के दौरान होने वाली दुर्धटनाओं जैसे कैपटमेडुसे, पैरालिसिस आदि से बचाव किया जा सकता है।

3– प्रसव के पश्चात शिशु की पूर्णतया चिकित्सकीय जॉच करा शिशु की दिव्यांगता को चिन्हांकित कर प्राथमिक उपचार किया जाना।

11- Education (Section 26 – 31)

(i) Total number of children with disabilities upto 18 years of age in the State/UTs.
राज्य के सर्व शिक्षा अभियान के सर्वे के अनुसार आयु वर्ष 06 से 14 वर्ष तक के चिन्हित बच्चों की कुल संख्या 271653 है।

(ii) Number of disabled children upto 18 years of age studying in schools :

- राज्य के सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आयुवर्ष 06 से 14 वर्ष तक के कुल अध्ययनरत बच्चों की संख्या 240116 हैं। **दिव्यांगजन सशक्तीकरण** विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में कुल 1982 बच्चे अध्ययनरत हैं तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कुल 7039 विकलांग बच्चे अध्ययनरत हैं एवं विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत भारत सरकार से अनुदानित स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों के कुल 6719 बच्चे अध्ययनरत हैं। इस प्रकार कुल 255856 बच्चे अध्ययनरत हैं।

	Blind/Low Vision		Locomotor Disabled		Mentally Retarded		Speech and Hearing Impaired		Other disabilities (specific)	
	In Regular School	In Special School	In Regular School	In Special School	In Regular School	In Special School	In Regular School	In Special School	In Regular School	In Special School
Number	32330 **1813	807	52301 **3675	65	56850 **401	40	59560 **1025	596	39075 **125	6719* 474

*विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालय।
** माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालय।

(iii) Whether free education for children with disabilities is available in the State:

- हॉ, राज्य के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के **दिव्यांग** बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शा0सं0 221/15–11–2000–5(2) दिनांक 10–03–2000 निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न जनपदों में **दिव्यांगजन सशक्तीकरण** विभाग द्वारा संचालित आवासीय एवं अनावासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा एवं **निःशुल्क पाठ्यसामग्री** व **यूनीफार्म** की व्यवस्था उपलब्ध है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भी कक्षा 8 तक के विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्पेशल संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा है।

(iv) Have instructions been issued not to deny admission to children with disabilities in main stream schools? If not the reason thereof ?

- सर्व शिक्षा अभियान / बेसिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में निर्देश जारी हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

(v) Number of Govt. schools in which both disabled and non disabled children are studying:

- प्रदेश के समस्त स्कूलों को न्यूनतम 03 प्रतिशत विकलांग छात्रों को प्रवेश दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी शिक्षा विभागों द्वारा इस संबंध में अपने स्तर से शासनादेश जारी किये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2091 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ दिव्यांग एवं सामान्य दोनों प्रकार के बच्चे अध्ययनरत हैं।

(vi) Number of special schools in the State:
(a) Govt: 24 (b) Govt. Aided: 60 (N.G.O.) (c) Data not available.

.

(vii) Number of special schools setup during the last financial year ?

- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद गाजियाबाद, बुलन्दशहर, एटा, महाराजगंज, प्रतापगढ़ एवं मिर्जापुर में समेकित विद्यालय तथा जनपद सोनभद्र एवं कुशीनगर में संकेत विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके संचालन हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

(viii) Number of hostels setup during the last financial year?
जनपद गाजियाबाद, बुलन्दशहर, एटा, महाराजगंज, प्रतापगढ़ एवं मिर्जापुर में समेकित विद्यालय तथा जनपद सोनभद्र एवं कुशीनगर में संकेत विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके संचालन हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

(ix) Number of districts where atleast one special school is running :

- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा 13 जनपदों में 24 विभागीय स्पेशल स्कूल संचालित हैं तथा विभिन्न जनपदों में 60 स्वैच्छिक संस्थाओं के स्पेशल स्कूल संचालित हैं।

(x) Number of Districts having main stream schools are equipped with facilities for education of disabled children :

- प्रदेश के सभी परि ादीय स्कूलों में रैम्पस की सुविधा उपलब्ध है। विभागीय एवं पी0आईसी में पंजीकृत दिव्यांग बच्चों को ब्रेल बुक्स, यूनिफार्म, फूडिंग एवं लाजिंग की सुविधा उपलब्ध है।

(xi) Number of special schools/normal schools with vocational training facility :

- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अन्तर्गत 24 स्पेशल स्कूल और 09 वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर संचालित हैं।

(xii) Number of schools that are architecturally barrier free:

प्रदेश के सभी विभागीय एवं परि ादीय स्कूलों में रैम्पस की सुविधा उपलब्ध है।

(xiii) Number of schools that are not architecturally barrier free: N.A.

(xiv) Number of colleges / professional institutes/ Universities that are architecturally barrier free:

- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की सभी संस्थाओं तथा डा0 ाकुन्तला मिश्रा रा ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय संचालित है जिनमें बाधारहित सुविधाएँ उपलब्ध हैं। प्रदेश के समस्त परि ादीय स्कूलों में रैम्प की सुविधा उपलब्ध है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 2091 विद्यालयों में बाधारहित सुविधा उपलब्ध है । इस संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा ाासनादेश संख्या–42 / भा0स0 –11/65–3–2014–46/2009 दिनांक 10 जून 2014 जारी किया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक संस्थान ए0आई0टी0एच0 के अन्तर्गत सभी बाधारहित सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा राजकीय पालिटेक्निक झाँसी के अन्तर्गत रैम्प्स की सुविधा उपलब्ध है।

- उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्यों में संलग्न प्रदेश की कार्यदायी संस्थाओं यथा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लोक निर्माण विभाग, यू0पी0 कान्स्ट्रक्शन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन तथा 26 विकास प्राधिकरणों को अधिनियम की धारा-46 के अनुपालन एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही विषयक सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रकरण को अधिनियम की धारा -62, 63 के अंतर्गत परिवाद के रूप में पंजीकृत करते हुए नोटिस जारी की गयी हैं।

(xv) Number of colleges/professional institutes/Universities that are not architecturally barrier free: सूचनाएँ प्रतीक्षित हैं ।

(xvi) Step taken to make Schools/Colleges/Institutions to make barrier free:

- मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन स्तर से ाासनादेश संख्या–42/भा0स0–11/65–3–2014–46/2009 दिनांक 10 जून 2014 जारी किया गया है। राज्य के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, आडिटोरियम, विश्वविद्यालयों यथा– डा0 शकुन्तला मिश्रा राजकीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय, एम0जे0एफ0 रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली, छत्रपतिसाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, आदि एवं विभिन्न सार्वजनिक भवनों, सार्वजनिक स्थलों, नगर पालिका/निगमों, चिकित्सा विभाग के मण्डल मुख्यालयों, शोध संस्थानों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि में दिव्यांगजन को बाधारहित वातावरण प्रदान किए जाने हेतु सिपडा योजना के अन्तर्गत कुल रु0 1362.49 लाख की धनराशि का उपयोग करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 को रु0 332.43 लाख की धनराशि 70 जनपदों के लिए अवमुक्त की गयी है ।माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के अंतर्गत बाधारहित सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी हैं।

(xvii) Whether there is any scheme for scholarship for students with disabilities ? if yes the amount of scholarship permonth:

- हॉ, जाति वर्ग के अनुसार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसके दिव्यांग छात्र–छात्राएं सम्मिलित हैं। पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र–छात्राओं को भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016- 17 के अन्तर्गत दिव्यांग छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु कुल 3641 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से राज्य सरकार द्वारा कुल 2754 आवेदन पत्र भारत सरकार को अग्रसारित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत रुपया 2000 /- प्रतिमाह स्टाइपेंड की सुविधा दी जाती है।
- तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कुल 848 दिव्यांग छात्र–छात्राओं को क्रमशः रू0 250/– प्रति माह प्रति विद्यार्थी (केन्द्र पोाित) एवं रू0 190/– प्रति माह प्रति विद्यार्थी (राज्य पोाित) योजना में स्कालरशिप प्रदान की जा रही है।

(xviii) Number of disabled children receiving scholarships:

- तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कुल 848 दिव्यांग छात्र–छात्राओं को स्कालरशिप प्रदान की जा रही है। अन्य सूचना उपरोक्त बिन्दु के अनुसार।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3041 दिव्यांग बच्चों को स्टाइपेन्ड धनराशि प्रदान की जा रही है।

(xix) Whether provision has been made for conducting part time classes in respect of CWDs who have completed education upto class v and could not continue their studies in full time basis? Whether special part time classes are being conducted for children in age group of 16 years and above :

इस संबंध में शिक्षा विभाग को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।कृत कार्यवाही विषयक सूचना प्रतीक्षित है।

(xx) Whether facilities for non formal education to children with disabilities are available and wheather orientation is being given to available manpower in the rural areas? Please provide the details thereof.

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहु दिव्यांगता रखने वाले बच्चों तथा सी0पी0 सी0डब्ल्यू0 एस0 एन0 को उनके निवास पर शिक्षा प्रदान की जाती है।

(xxi) Please give details of the provision for imparting education to open school or open universities.

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(xxii) Please give details of the provision for conducting classes and discussion through interactive electronic or other media.

(xxiii) Whether institutions have been established / institutions assisted for research to develop new assistive devices, teaching aid, special teaching material etc. ? If so number of such institutes in : (a) Govt. (b) Govt. Aided: (c) Private:

- डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से विशेष व्यक्तियों को कृत्रिम अंग (मुख्य रूप से कृत्रिम पैर) उपलब्ध कराया जाता है।
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 के अन्तर्गत ब्रेल–प्रेस की स्थापना लखनऊ में की गई है।

(xxiv) Number of teachers training institutions for specialized trainiing in special education.

- प्रदेश में 02 सरकारी तथा 07 स्वैच्छिक संस्थाओं के टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन्स संचालित है।
- डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के विशेष शिक्षा संकाय के अंतर्गत निम्नलिखित विभागों एवं पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है -

क्रम संख्या	दृष्टिबाधितार्थ विभाग	श्रवणबाधितार्थ विभाग	मानसिक मंदित विभाग	बहुविकलांग एवं पुनर्वासन विभाग	कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र

1	D.Ed.S.E.	D.Ed.S.E.	D.Ed.S.E.	B.P.O.	कृत्रिम अंग निर्माण किया जाता है।
2-	B.Ed.S.E.	B.Ed.S.E.	B.Ed.S.E.	B.A.S.L.P.	
	M.Ed.S.E.	M.Ed.S.E	M.Ed.S.E		

(xxv) Requirement of disabilities vise special education teachers in the State/Uts and number available;

- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित स्पर्श विद्यालयों मे 41 पद, संकेत विद्यालयों में 14 पद, ममता विद्यालय में 01 पद, प्रयास विद्यालयों में 07 पद रिक्त हैं। इस प्रकार समस्त विभागीय विद्यालयों में शिक्षक संवर्ग के कुल 63 पद रिक्त हैं। विभागीय विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किए गए हैं।
- डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के विशेष शिक्षा संकाय के अंतर्गत निम्नलिखित विभागों एवं पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विशेष शिक्षक वृन्द की संख्या निम्नानुसार है-

क्रम संख्या	दृष्टिबाधितार्थ विभाग	श्रवणबाधितार्थ विभाग	मानसिक मंदित विभाग	बहुविकलांग एवं पुनर्वासन विभाग	कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र
विशेष शिक्षक वृन्द की संख्या	07	05	05	04 guest faculty	शिक्षकवृन्द की संख्या शून्य है।

- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 311 विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं।

(xxvi) What measures have been taken to meet the required number of special education teachers in each disabilities?

डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में विशेष शिक्षकों की नियक्ति की प्रक्रिया राज्य / आर.सी.आई. / यूजीसी. में निर्धारित मानको के अनुसार किया जाता है।

(xxvii) Whether facilities for non-formal education to children with disabilities are available? if yes, the number of blocks having this facility:

- हॉ, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा 3 वर्ा से 7 वर्ा आयु के दिव्यांग (दृष्टिबाधित,श्रवणबाधित, मानसिक मंदित बालक बालिकाओं) को उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर समूहों में वर्गीकृत कर प्री-प्राइमरी सतर की शिक्षा प्रदान की जाती है । बच्चों को यूनीफार्म, पठन-पाठन सामग्री, निःशुल्क आवागमन की सुविधा दी जाती है । बच्चों हेतु 08 बचपन डे केयर सेन्टर्स लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, बरेली झांसी, सहारनपुर एवं गौतमबुद्ध नगर में संचालित हैं जिसमें 298 बच्चे प्रवेशित हैं । उल्लेखनीय है कि 10 नवीन बचपन डे केयर सेन्टर जनपद अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़,कानुपर नगर, गोण्डा, फैजाबाद,गोरखपुर, की स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है। इन केन्द्रों की कुल स्वीकृत क्षमता 600 है तथा ये सेन्टर 30 जून 2017 तक संचालित हो जाएगे जिसके फलस्वरूप समस्त मण्डलीय मुख्यालयों पर यह योजना प्रारम्भ हो जाएगी।

(xxviii) Whether children with disabilities are beinig provided free of cost special books and equipments needed for his/her education:

- हॉ, प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं।

(xxix) Number of such children being provided books, uniforms and other material :

- राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 240116 बच्चों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही विभागीय विद्यालयों में भी यह सुविधा उपलब्ध है।
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को 7039 यूनिफार्म एवं पुस्तके, 3041 स्टाइपेन्ड, 4176 मेडिकल असेसमेन्ट, 289 रीडर अलाउन्स, 113 स्कॉट अलाउन्स, 4407 ट्रांसपोर्ट अलाउन्स की सुविधा दी जा रही है।

(xxx) Whether facilities for placement of children with disabilities are being promoted

- हॉ, प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित 16 विशे। सेवायोजन कार्यालय द्वारा तथा शेष अन्य 59 जिला/क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालयों द्वारा भी दिव्यांग ब्च्चों के प्लेसमेंट का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अंतर्गत संचालित कौशल विकास केन्द्रों में दिव्यांगजन को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित 02 बहुउद्देश्यीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं गौतमबुद्धनगर में सभी श्रेणी के विकलांगजन को बाजार मांग के अनुरुप अल्प अवधि के ट्रेडों यथा – सिलाई-कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, आदि में अनावासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । शारीरिक रुप से अक्षम्य व्यक्तियों हेतु जनपद आगरा, वाराणसी, उन्नाव, इलाहाबाद एवं लखनऊ के कौशल विकास केन्द्र में रोजगार-परक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।मूक-बधिर व्यक्तियों के लिए आगरा में रोजगार परक कौशल विकास केन्द्र स्थापित है ।दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए जनपद लखनऊ, गोरखपुर एवं बांदा में कौशल विकास केन्द्र संचालित हैं ।जनपद बरेली, मेरठ एवं गोरखपुर में मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण आवास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध है । इन केन्द्रों में जिला प्रशासन एवं माननीय न्यायालयों के निर्णय पर घुमन्तू एवं लावारिस मानसिक मंदित दिव्यांगजन का प्रवेश किया जाता है।

(xxxi) Whether examinaition system has been modified to eliminate mathematical questions for the benefit of blind/low vision students ? नहीं

- माध्यमिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार विकल्प के रूप में दूसरा वि ाय चयन किए जाने की सुविधा उपलब्ध है।

(xxxii) Whether curriculum has been restructed to suit the children with disabilities?
-माध्यमिक शिक्षा की रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि यह सुविधा उपलब्ध नही है किन्तु दिव्यांग बच्चों की परीक्षा–प्रक्रिया को सुगम बनाए जाने हेतु विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिसमें दूसरा वि ाय चुनने की सुविधा उपलब्ध है। मूकबधिर बच्चे द्वितीय अनिवार्य भा ा के स्थान पर वैकल्पिक वि ाय का चयन कर सकते हैं तथा उन्हें अपनी सुविधानुसार परीक्षाकेन्द्र चयन किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है।

(xxxiii) Whether curriculum of one language option for hearing impaired children has been effected ?
-हॉ, मूकबधिर छात्र दूसरी अनिवार्य भा ा के स्थान पर एक अन्य वैकल्पिक वि ायों की सूची में से उपहृत कर सकते हैं।

(xxxiv) Number of schools that provide free transport facility or financial assistance for the same to the disabled children :
-24 विभागीय स्कूलों में उक्त सुविधा उपलब्ध है।

बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3966 दिव्यांग बच्चों को स्कॉर्ट की सुविधा दी जा रही है।

(xxxv) Whether provision have been made appropriate placement of CWDs in schools/class? If yes, please give details thereof.

- प्रदेश के अंतर्गत सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंतर्गत प्रवेश में 3 प्रतिशत का आरक्षण लागू है।

(xxxvi) Whether the guidelines for conducting written examination issued by Ministory of Social Justice and Empowerment vide OM no. 16-110/2003-DD.III on 26-02-2013 are implemented in institutions coming under the authority of your State? If yes, please provide the status? If not, what are the reason thereof.

-इस सम्बन्ध में राज्य के शिक्षा विभाग को कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(xxxvii) Amount of extra time per hour in written examination allowed to studentes with disabilities in school/university exams and State Selection Board Exams :

-बोर्ड की लिखित परीक्षाओं में दिव्यांग छात्रों को 01 घण्टे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। लोकसेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा स्क्रीनिंग/आब्जैक्टिट टाइप परीक्षा में दृटिहीन अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 20 मिनट का अतिरक्त समय तथा मुख्य/लिखित परीक्षा में उन्हें 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा कन्द्रों से केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा नेत्रहीन अभ्यर्थियों के संबंध में चयन बोर्ड से अनुमति मांगे जाने पर दस मिनट प्रति घण्टा का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

(xxxviii) Whether the service of scribe/writer to children with blindness/low vision and other children with disabilities are being ensured ?
-हॉ, मुख्य/विभिन्न परीक्षाओं में दृटिहीन अभ्यर्थियों को श्रुति लेखक की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

12- Employment(Section 32-41)

(i) Has the state adopted list of posts/jobs identified for persons with disabilities by Govrenment of India from time to time?
–राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से पदों का चिन्हांकन किया गया है।

(ii) Has the State Govt. Identified the posts for persons with disabilities in defferent Groups viz Group 'A' 'B' 'C' 'D' please indicatge following details
Group- A:- 36, B:- 252 C:- 237, D:- 60 - (total posts-585)

(iii) If the posts not yet been identified, please indicate the time frame and steps taken?. लागू नही है।

(iv) Whether special recruitment drive is being conducted to fill the backlog vacancies? If yes, please provide the time frame fixed. If not, reasons thereof.
–हॉ, इस संबंध में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या 845 / 65-3-10 -4 (रिट) / 2009 दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 एवं ाासनादेश संख्या–121/65–3–2012–4(रिट)/2009 दिनांक 14–03–2012 जारी किया गया है। जिसका अनुश्रवण शासन स्तर से किया जा रहा है। शासन से प्राप्त सूचना के अनुसार

दिव्यांग जन की बैकलाग भर्ती हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाकर कुल आरक्षित पद 3774 पदों में से कुल 2903 पदों पर भर्तियॉ की गई हैं।

(v) Whether procedure for implementation of minimum 3% vacancies under Section 33 of the Act has been prescribed and circulated? If not, reasons and action initiated in this regard.

-हॉ, इस सम्बन्ध में भारत सरकार के अनुरुप ही कार्मिक विभाग द्वारा शा0सं0 18/1/2008–का–2–2008 दिनांक 3 फरवरी 2008 तथा शा0सं0 7/18/1/2008/का–2/2015 दिनांक 28 जुलाई 2015 जारी कर विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जो समस्त विभागों पर बाध्यकारी है।

(vi) Whether the concerned officials of the State Government and its undertakings etc. have been given training on implementation-

- राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समय-समय पर सचिवालय प्रशिक्षण केन्द्र, जवाहर भवन, लखनऊ, प्रशासनिक अकादमी व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दिव्यांगता तथा दिव्यांगजन अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(vii) Whether the details of information/returns are being obtained from the employer in every etablishment regarding the occurrence of vacancies for persons with disabilities? Whether any form furnishing the information/returs has been prescribed?

–हॉ, इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा शा0सं0 18/1/2008–का–2–2008 दिनांक 3 फरवरी 2008 जारी किया गया है जिसके अंतर्गत उपरोक्त व्यवस्था प्रावधानित है।

(viii) Number and addresses of Special Employment Exchanges in the State/UT:

–प्रदेश में कुल 16 विशि ट सेवायोजन कार्यालय के साथ प्रदेश के अन्य 59 जिला/क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय द्वारा भी दिव्यांगजन के सेवायोजन सम्बन्धी कार्य किया जाता है।

(ix) Number of districts without special employment exchange – 59

(x) Number of persons with disabilities registered with special employment exchanges. Year upto which persons with disabilities have been given placement-

–निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय, उ0प्र0 कार्यालय की सूचना संलग्नक–1 पर संलग्न है।

(xi) Please provide the details of unfilled vacancies in all the establishments in Group "A", "B", "C" & "D" posts which have been carried forward due to non availability of a suitable PWDs. Please provide the details of vacancies reserved for PWDs. In all the establishments which were filled by persons other than PWDs.

-इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा शा0सं0 18/1/2008–का–2–2008 दिनांक 3 फरवरी 2008 तथा शा0सं0 7/18/1/2008/का–2/2015 दिनांक 28 जुलाई 2015 जारी कर विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है जो समस्त विभागों पर बाध्यकारी है। विभागों से विस्तृत रिपोर्ट प्रतीक्षित है। शा0सं0 35/65–03–78/99 दि0 13–01–2011 द्वारा समूह क,ख,ग एवं घ में कुल 585 पद **दिव्यांगजन** की विभिन्न श्रेणियों हेतु चिन्हित किए गए हैं।

(xii) Whether all the deparments are notifying the vacancies to special employment exchanges ?

-विभागों द्वारा रिक्तियॉ उपलब्ध कराए जाने पर सी0एन0वी0 एक्ट–1959 में विहित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाती है। निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय, उ0प्र0 कार्यालय की सूचना **अतिरिक्त रुप से** संलग्नक–1 पर संलग्न है।

(xiii) Details of implementation of reservation:

-इस सम्बन्ध में विभिन्न श्रेणियों के कुल 585 पदों को चिन्हांकित किया गया है तथा विभागों को श्रेणीवार पदों की गणना करते हुए **दिव्यांग**जन को अनुमन्य 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किए जाने तथा तद्वि ायक रिकार्ड निर्धारित प्रारूप पर रखे जाने एवं ाासन को सूचित किए जाने के निर्देश ा0सं0 18/1/2008–का–2–2008 दिनांक 3 फरवरी 2008 द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विशे ा भर्ती अभियान चलाकर व ा 1996 से बैकलाग पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में ाासनादेश संख्या–121/65–3–2012–4(रिट)/2009 दिनांक 14–03–2012 जारी किया गया है जिसके क्रम में कुल 3774 बैकलाग पदों की गणना की गई जिनमें से 2903 पदों पर

बैकलाग भर्ती की गई तथा वर्तमान में बैकलाग भर्ती की प्रक्रिया जारी है जिसका निरन्तर अनुश्रवण ाासन स्तर से किया जा रहा है।

(xiv) Whether orders/schemes under section 38 have been issued/formulated for arrangements regarding -

(a) Training and welfare of PWDs :
–विभागीय 09 कौशल विकास केन्द्रों में विभिन्न ट्रेडों में दिव्यांगजन को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए स्वतः स्वरोजगार हेतु उन्मुख किया जाता है।

(b) Relaxation of upper age limit : हॉ, 15 व र्ा की छूट प्रदान की गई है।

(c) Regulating employment : हॉ,

(d) The Health and safety measures and creation of barrier free enviornment at work place : हॉ,

(xv) Whether all Government educational institutions and other educational institutions receiving aid from the Government reserved at least 3% seats for persons with disabilities as mandated in Section 39?
–हॉ, इस सम्बन्ध में ाासनादेश जारी हैं।

(xvi) Wehather atleast 3% reservation for persons with disabilities is being insured in all poverty alleviation schemes :
हॉ, इस सम्बन्ध में गरीबी उन्मूलन योजनाओं में आवंटित 3 प्रतिशत धनराशि का दिव्यांग व्यक्तियो के कल्याणार्थ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा ाा0सं0 34/65–3–05–41/4टीसी दिनांक 9 मार्च 2005 जारी है। ग्राम्य विकास विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना केअंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिव्यांगजन को कुल 231 आवास स्वीकृत किये गए हैं। तथा महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 56729 दिव्यांगजन पंजीकृत किये गए तथा 12149 दिव्यांगजनों ने कुल 294498 दिन कार्य किया। (रिपोर्ट संलग्न-2)

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ0प्र0 की रिपोर्ट के अनुसार दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्टीय शहरी जीविका मिशन (DAY- NULM) के अंतर्गत 44 दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है।

(xvii) What action has been taken by State Govt./UT to make public Transport and public places/buildings accessible to PWDs ?

–पब्लिक ट्रान्सपोर्ट और पब्लिक प्लेसेज़/बिल्डिंग्स को बाधारहित बनाए जाने के सम्बन्ध में पूर्व ाासनादेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, स्तर से ाासनादेश संख्या–365/65–3–2012–8/2003 दिनांक 28 मई 2012 जारी करते हुए अधिनियम की धारा–45 एवं 46 का अनुपालन समस्त विभागों द्वारा सुनिश्चित किए जाने के स्प ट एवं कड़े निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में दिव्यांगजन की सुविधाओं हेतु परिवहन निगम के बस स्टशनों पर आवश्यकतानुसार रैम्प तथा रेलिंग का निर्माण एवं प्रमुख बस स्टेशनों पर व्हील चेयर्स का उपयोग करने वाले दिव्यांगजन हेतु ौचालय एवं व्हील चेयर्स की व्यवस्था भी की गई है ।

(xviii) Wheather any incentives are being provided to employers (public/private) for employment at least 5% PWDs ? Please give details:

– दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृ ठ कार्य करने वाले नियोक्ताओं को राज्य स्तरीय पुरूस्कार से सम्मानित किया जाता है।

जिसके अंतर्गत उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी, स्वतः रोजगार में रत दिव्यांगजन, दिव्यांगजन के सेवायोजकों एवं प्लेसमेंट अधिकारियों को रु0 5000 /- नगद,शाल, स्मृति चिन्ह, मेडल तथा प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2016-17 में इस योजनाके अंतर्गत 06 राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा 13राज्य स्तरीय सम्मान का वितरण किया गया ।

13- Affermative Action (Section 42 and 43)

(i) Indicate the schemes for providing aids and appliances to persons with disabilities being implemented by State Govt./UT, other than the schemes of Central Government.

-राज्य सरकार द्वारा कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना के अन्तर्गत रू0 1452.14 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। ाारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण यन्त्र इत्यादि खरीदने तथा मरम्मत कराने हेतु अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली है।

(ii) Number of persons with disabilities provided with aids and appliances free of cost or with concession during the financial year 2015-16;
-भौतिक लक्ष्य 29800 के सापेक्ष्य 27487 विकलांग लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

(iii) Please mention the item for which there are schemes for preferential allotment of land at concessional rates to PWDs and indicate important features;-
(a) House हॉ,
(b) Setting up business हॉ,
(c) Setting up special recreation centers हॉ,
(d) Establishment of special schools हॉ,
(e) Establishemnt of reserch center हॉ,
(f) Establishment of factories with entrepreneurs with disabilities हॉ,
–उपरोक्त के सम्बन्ध में आवास एवं ाहरी नियोजन विभाग द्वारा विस्तृत ाासनादेश दिनांक 27 अप्रैल 2001, 30 जनवरी 2008, एवं 08 जुलाई 2009 जारी है।

(iv) The number of persons with disabilities allotted the land under the above schemes -
– रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

14- Non-discrimination (Section 44 – 47)

(i) Number of buses/ vessels accessible to PwDs in the State: --
–प्रदेश के परिवहन विभाग की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ii) Number of Auditory signals at red lights in the State:(section 45{a}):
– ाा0सं0 42भा0स0–11/65–3–2014–46/2009 दिनांक 10 जून 2014 जारी है।

(iii) Status of accessible roads and pavements in the State :(section 45{b}): --
- इस सम्बन्ध में इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रख्यापित गाइड लाइन्स फार पैडेस्ट्रेन फैसिलिटी 103:2012 द्वारा मार्गों, फुटपाथों व उनके क्रांसिंग इत्यादि दिव्यांगताजन हेतु

दी जाने वाली सुविधाओं हेतु लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके हैं जिनके अनुसार ही मार्गों एवं तत्सम्बन्धी यूटिलिर्टीज़ फैसिलिटीज़ का निर्माण की कार्यवाही की जाती है।

(iv) Please indicate whether instructions have been issued for causing curbs, cut and slopes during construction of roads and its implementation is being insured?
-इस सम्बन्ध में इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रख्यापित गाइड लाइन्स फार पैडेस्ट्रेन फैसिलिटी 103:2012 के अध्याय–6 फुटपाथों में कट व स्लोप, टेबल टाप क्रासिंग व एम्बोज़ड/इनग्रेव्ड क्रासिंग इत्यादि के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं जिनका अक्षरशः अनुपालन ाहरी मार्गों के निर्माण में सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

(v) Please indicate whether instructions have been issued for engravement on the surface of the zebra crossing during construction of roads and its implementation is being insured?
-इस सम्बन्ध में इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रख्यापित गाइड लाइन्स फार पैडेस्ट्रेन फैसिलिटी 103:2012 के अध्याय–6 फुटपाथों में कट व स्लोप, टेबल टाप क्रासिंग व एम्बोज़ड/इनग्रेव्ड क्रासिंग इत्यादि के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं जिनका अक्षरशः अनुपालन ाहरी मार्गों के निर्माण में सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के कतिपय महानगरों में दिव्यांगजन की सुविधा हेतु रोडों पर जेब्रा लाइन एवं मोड़ का निर्माण कराया गया है। अन्य ाहरों में भी कार्यवाही कराए जाने की प्रक्रिया उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत प्रचलन में है।

(vi) Please indicate whether symbols for disability are being used?
-वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलन में है।

(vii) Please indicate whether warning signals at appropriate places are being installed?

अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वाराणसी एवं कानपुर जोन के अंतर्गत आने वाले कतिपय जनपदों में वार्निंग साइनेज, चेतावनी बोर्ड, ध्वनि सिगनल आदि लगाए जाने की कार्यवाही की गई है।

(viii) Number of Access Audits conducted so far and during last financial year: --.

- दिव्यांगजन के लिए भौतिक वातावरण , परिवहन, सूचना संचार तकनीक प्रणाली व अन्य सुविधाओं को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को सुगम्य बनाए जाने हेतु सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत योजना को राज्य के अंतर्गत तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। **प्रथम चरण** में जनपद लखनऊ, कानपुर , झांसी, वाराणसी, आगरा एवं नोएडा को चिन्हित कर **एक्सेस ऑडिट किये गए भवनों** को दिनांक 31-12-2017 तक बाधारहित बनाए जाने का लक्ष्य है। **द्वितीय चरण** के अंतर्गत राज्य की राजधानी लखनऊ के **68 चिन्हित भवनों** को 31-12-2018 तक बाधारहित किये जाने का लक्ष्य है। **तृतीय चरण** के अंतर्गत राज्य के 10 प्रमुख जनपदों के **चिन्हित 500 भवनों** को दिनांक 21-12-2019 तक बाधारहित किये जाने का लक्ष्य है। जिसकी सूची की एक्सेस ऑडिट कराने के लिए भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है।

(ix) Number of persons trained in Access Audit:
-समस्त जिला विकलांग जन विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(x) Number of buildings/Public places audited: -- बिन्दु संख्या (**viii**) के अनुसार

(xi) Number of buildings/Public places made accessible-

—प्रदेश के अन्तर्गत **दिव्यांगजन** को बाधारहित वातवरण प्रदान किए जाने हेतु उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। इस सम्बन्ध में सिपडा योजना के अंतर्गत कुल रु0 1362.49 लाख की

धनराशि का उपयोग करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।

– सिपडा योजना के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि से उच्च शिक्षा विभाग, के अन्तर्गत एम0जे0एफ0 रूहेलखण्ड यूनिवर्सिटी, बरेली, लखनऊ विश्वविद्यालय, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी, उ0प्र0 ललित कला अकादमी, विकलांग जन विकास विभाग के अन्तर्गत निदेशालय **दिव्यांगजन सशक्तीकरण** विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, तथा विभागीय संस्थाओं यथा गोरखपुर, बरेली, आगरा, फरूखाबाद आदि, राजस्व परिषद, लखनऊ, कार्यालय आयुक्त, परिवहन विभाग, उ0प्र0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 20 मण्डल मुख्यालय, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 के 69 भवनों, उ0प्र0 आर्चीव्स लखनऊ, शहीद स्मृति भवन, लखनऊ उ0प्र0 सचिवालय स्थित लाल बहादुर शास्त्री भवन, नवीन भवन, अधिकारी भवन, बहुखण्डी भवन, विधान भवन, जनपथ, जवाहर भवन, इन्दिरा भवन, राज्य मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, झॉसी, गोरखपुर, उ0प्र0 ग्रामीण मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सैफई, इटावा, राय उमानाथबाली आडिटोरियम, डिस्टिक एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग इन्सटीट्यूट आफ एजूकेशन, (बेसिक), तकनीकी शिक्षा विभाग, कानपुर, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, नगर निगम– मुरादाबाद, लखनऊ गाजियाबाद, ग्रमीण विकास विभाग–लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, महिला एवं सामान्य चिकित्सालयों अदि में **दिव्यांगजन** को बाधारहित सुविधा यथा–रैम्प्स, लिफ्ट, बाधारहित टायलेट्स, बाधारहित वेबसाइट, ब्रेल इन्डीकेटर्स, रूम इन्डीकेटर्स, ब्रेल सिस्टम्स, कारीडोर्स एण्ड स्पेयर्स एण्ड फिक्सिंग आफ टाइल्स आदि की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही की गई है।

Whether training on Accessibility Audit and on creation of barrier free environment is being imparted? If yes, the number persons trained. Please enclosed list of trained person with the contact details available. If this has not been updated, indicate the action plan to do it. सूचना प्रतीक्षित है।

(xii) Whether instruction for ensuring barrier free environment have been issued? हॉ,

इस संबंध में मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन स्तर से शासनादेश संख्या 42/भा0स0-11/65-3-2014-46/2009 दिनांक 10 जून, 2014 जारी है।

(xiii) Whether Nodal Officers has been appointed in each district for the purpose of insuring barrier free features in all the constrations?
-इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–693(1)/65–3–2012–8/2003 दिनांक 27 जुलाई 2012 निर्गत है जिसके अन्तर्गत विकलांग जन अधिनियम की मानीटरिंग हेतु प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नामित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

(xiv) Please indicate whether the provision of Section 47 is being implemented? हॉ,

(xv) Please provide the details of instruction issued for ensuring compliance of the provisions mentioned in Section 47.
-हॉ, इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर विकलांग जन अधिनियम - 1995 के प्रावधानानुसार प्रकरणों को सम्बन्धित विभाग के साथ उठाते हुए निस्तारण की कार्यवाही की जाती है।

(xvi) Number of instances of violation of Section 47 in the State/UT and action taken thereon: 02

15- Research and Manpower Development -

(i) Whether any research programme u/s 48 and 49 have been sponsered so far? if Yes Brief details thereof : --

- डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के परिसर में कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग (कृत्रिम पैर, एल्बो, नी, आदि) उपलब्ध कराने के साथ-साथ उक्त से संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन तथा शोध को बढ़ावा देना है।

(ii) Funds allocated for research and manpower development u/s 48 and 49–
a- Total funds allocated so far --
b- Funds allocated during 2016-17 --

16- Recognition of institution for PWDs (Section 50 –55)

(i) Whether competent authority u/s 50 has been appointed ? if Yes, the designation, address, telephone no., email itc. of such authority –

–अधिनियम की धारा–50 के अन्तर्गत निदेशक, **दिव्यांगजन सशक्तीकरण** विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ को शासन की अधिसूचना संख्या 1144/65–1–96–18(4)–96 दिनांक 1 अगस्त 1996 द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है जिनकी दूरभाष संख्या–0522–2287267 एवं फैक्स संख्या–0522–2287089 है।

(ii) No. of institutions issued registration in the state so far :

- **दिव्यांगजन सशक्तीकरण** विभाग द्वारा कुल 3531 स्वैच्छिक संस्थाओं का पंजीकरण किया गया है।

17- Institution for person with severe disabilities (Section 56)

Whether any institution(s) has/have been established and is/are being maintaied for persons with severe disabilities (80% or more disability)? if Yes the no. addresses of such instutions.

–इस सम्बन्ध में स्पाइनल इंजरी से प्रभावित विकलांग जन के उपचार के लिए जनपद बरेली में एक स्पाइनल इंजरी सेन्टर की स्थापना की गयी है जो भारत सरकार के सहयोग से संचालित है।

18- Commissioners for Persons with Disabilities (Section 60-63 and 65)

(i) Wheather the sate commissioner for PWDs has independent or additional charge? (please indicate name, full address, telephone, mobile no., fax, e-mail etc)-

–अतिरिक्त कार्यभार। **श्री महेश कुमार गुप्ता** , आई0 ए0 एस0, पता – कार्यालय आयुक्त **दिव्यांगजन**, उ0 प्र0, निकट राजकीय इण्टर कालेज, जे.बी. टी0 सी0 कम्पाउन्ड, (विकलांग बालकों का छात्रावास) विद्या भवन के अन्दर, निशातगंज, लखनऊ, दूरभाष / फैक्स–0522–2780411/2780911, e-mail-commissioner1998@rediffmail.com

(ii) Details of officers and staff provided to assist State Commissioner along with other essential infrastructural facilities :

क्रम संख्या	***पदनाम***	***स्वीकृत पद***	***कार्यरत पद***
1	आयुक्त,	01	01
2	उपायुक्त,	05	02
3	विधि अधिकारी	01	01
4	सहा0 विधि अधिकारी	01	–
5	वैयक्तिक सहायक	01	–
6	वरि0 सहायक	02	02
7	आशुलिपिक	05	02
8	कनि0 सहायक/कनि0 लिपिक	05	02
9	ब्रेललिपि रीडर	01	–
10	वाहन चालक	01	01
11	चपरासी	05	05
12	सफाई कर्मचारी	01	01
योग		***25***	***17***

वर्तमान में यह कार्यालय विभागीय भवन निकट राजकीय इण्टर कालेज, जे.बी. टी0सी0कम्पाउन्ड, (विकलांग बालकों का छात्रावास) विद्या भवन के अन्दर, निशातगंज, लखनऊ से संचालित है जिसके अन्तर्गत आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा भवन पूर्ण रूप बाधारहित है।

(iii) Grant in aid disbursed by State Govt./UT to NGOs working for PWDs during last financial year:

- प्रदेश में कार्यरत 12 स्वैच्छिक संस्था को वर्ा 2016–17 में रू0 4576716/– का अनुदान दिया गया।
- उ0प्र0 में दिव्यांगता निवारण बचाव, उपचार एवं पुनर्वासन के क्षेत्र में कार्यरत कुल 20 स्वैच्छिक संस्थाओं को रु**0** 8.95 लाख का अनुदान जनपद स्तर पर कार्यशाला के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु दिया गया है।

(iv) No. of inspections carriedout by the office of commissioner disabilities for monitoring of funds during last three financial years.

–इस सम्बन्ध में संवितरित निधियों के उपयोग की मानीटरिंग दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के विभागीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर की जाती है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी एवं अपर आयुक्त विकलांग जन, समस्त जनपदों को भी अपने जनपद के अन्तर्गत संवितरित निधियों की मानीटरिंग किए जाने के अधिकार प्रदान किए गए है। विवरण प्रतीक्षित है।

(v) Summery of initiatives taken by the Stat/UT for successful implementation of the PWDs Act so far and measure achievements :

- राज्य के अंतर्गत दिव्यांगजन को रु0 300 /- प्रति माह को बढ़ाते हुए रु0 500 /- प्रति माह किये जाने का निर्णय विचाराधीन है।
- देश में उ0प्र0 पहला राज्य है, जहाँ पर कुष्ठ रोगके कारण हुए दिव्यांगजन को रु0 2500 /- की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है।
- डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के परिसर में कृत्रिम अंग निर्माण केन्द्र की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग (कृत्रिम पैर, एल्बो, नी, आदि) उपलब्ध कराने के साथ-साथ उक्त से संबंधित पाठ्यक्रमों का संचालन तथा शोध को बढ़ावा देना है।
- मूक-बधिर बच्चों हेतु सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन तथा अनुसंधान के उद्देश्य से डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर में डेफ कालेज की स्थापना की जा रही है। जिसका वित्त पोषण भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा (50:50 अनुपात में) किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय को दिव्यांगजन केलिए बाधारहित वातावरण सृजित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार- 2014 से सम्मानित किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु पुनर्वास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के फलस्वरूप उ0प्र0 को **उत्कृष्ट स्टेट अवार्ड 2015** से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 03 दिसम्बर 2016 को भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण हेतु पुनर्वास योजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालन करने हेतु **जनपद इलाहाबाद को उत्कृष्ट जनपद के राष्ट्रीय पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।
- दिव्यांगजन को सस्ती स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से **"**स्वावलम्बन स्वास्थ्य बीमा योजना **"** को भारत सरकार के सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की देख-रेख में राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केन्द्रों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लागू किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें दिव्यांगजन को मात्र रु0 310 /- एकल प्रीमियम के रूप में देना होगा तथा प्रतिवर्ष रु0 2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाना है।
- भारत सरकार द्वारा आधार प्रोजेक्ट की तर्ज पर दिव्यांगजन हेतु यूनीक आई0डी0 के लिए यू0डी0आई0डी0 प्रोजेक्ट प्रस्तावित है जिसके क्रियान्वयन हेतु सभी मण्डलों में प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उ0प्र0 की ओर से स्टेट एडमिन नामित किया जा चुका है। दिव्यांगजन का डाटा बेस भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। यू0डी0आई0डी0 प्रोजेक्ट के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य के समस्त जनपदों में बैक खाते खोलकर उनका विवरण भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।
- दिव्यांगजन के लिए भौतिक वातावरण , परिवहन, सूचना संचार तकनीक प्रणाली व अन्य सुविधाओं को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को सुगम्य बनाए जाने हेतु सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत योजना को राज्य के अंतर्गत तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रथम चरण में जनपद लखनऊ, कानपुर , झांसी, वाराणसी, आगरा एवं नोएडा को चिन्हित कर एक्सेस ऑडिट किये गए भवनों को दिनांक 31-12-2017 तक बाधारहित बनाए जाने का लक्ष्य है। **द्वितीय चरण** के अंतर्गत राज्य की राजधानी लखनऊ के 68 चिन्हित भवनों को 31-12-2018 तक बाधारहित किये जाने का लक्ष्य है। **तृतीय चरण** के अंतर्गत राज्य के 10 प्रमुख जनपदों के चिन्हित 500 भवनों को दिनांक 21-12-2019 तक बाधारहित किये जाने का लक्ष्य है।

- सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को भी दिव्यांगजन के लिए उपयोगी बनाए जाने हेतु बाधारहित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से 44 विभागों की वेबसाइट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 19 विभागों की वेबसाइटों को बाधारहित बनाए जाने का कार्य प्रगति पर है।
- सिपडा योजना के अंतर्गत आंशिक वित्त पोषण के अनुसार विभिन्न विभागों / सार्वजनिक भवनों में बाधारहित वातावरण सृजन किये जाने का कार्य किया जा रहा है जिसमें अबतक 2100.25 लाख की धनराशि के सापेक्ष रु0 1362.49 लाख की धनराशि का उपयोग कर लिया गया है, अग्रेत्तर कार्यवाही प्रक्रिया में है।
- सिपडा योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्किल डेवलपमेंट हेतु 05 स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।
- विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजन को उपचारात्मक सेवाएँ (फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइको काउन्सलिंग, आक्यूपेशनल थेरेपी आदि) हेतु दिव्यांगजन का चिन्हांकन / सर्वे योजनाओं के प्रचार – प्रसार , विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने तथा कृत्रिम अंग सहायक उपकरण की मरम्मत / उपलब्धता करने में सहायता देने के उद्देश्य से राज्य के 24 जनपदों में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र संचालित हैं।

- दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों को शिक्षण- प्रशिक्षण तथा अन्य पुनर्वास सेवाओं के लिए अनुदान दिया जाता है।
- राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय ई- छात्रवृत्ति योजना लागू है।

(vi) Cases handled under section 62 of the Act during last financial year:

A- Number of complaints/grievances filed by the complainants before the State Commissioner
342 (आयुक्त कार्यालय) 3803 (अपर आयुक्त कार्यालय 75 जनपद) कुल–4145

B- Number of cases taken up by the State Commissioner on his own motion (suomotu): 06

C- Total number of cases/girevances : कुल– 4151

D- No. of cases desposed off with directions and positive outcome:
325(आयुक्त का0)+3802(अपर आयुक्त का0)+6(सोमोटो)=4133

E- No. of cases where compliance of directions have been received:

F- No. of cases pending: 18

(viii) Details of preparation of Annual Reports of last three financial years and its laying before the State Legislature:

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट के समय परफार्मेन्स बजट के साथ एक पुस्तिका प्रकाशित की जाती रही है जिसमें **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग** के अन्तर्गत संचालित निदेशालय **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग**, उ0प्र0, आयुक्त **दिव्यांगजन**, उ0प्र0, एवं डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ आदि के समस्त कार्य विवरण, आय–व्यय विवरण, स्टाफ विवरण को समाहित कर विधान मंडल **के समक्ष** प्रस्तुत की जाती है।

19- Social Security and other scheme (Section 66 to 68)

Schemes for persons with disabilities (Rs. in lacs)

Sl. NO.	Schemes	Fund Allocated	No. of

			Beneficiaries
1	Scholarships Educational	3641 आवेदन पत्रों के सापेक्ष	2754
2	Assistance: Educational support materials		
3	Economic re-habilitation		
4	Marriage Incentive	रु0 2.20 करोड़	1228
5	Disability pension	रू0 321.23 करोड़ कुष्ठावस्था पेंशन (रू0 2500/– प्रति) 13.03 करोड़	883157 4765
6	Unemployment Allowance		
7	Insurance for employees with disabilities	स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।	
8	Aids & Applicances	रू0 14.90 करोड़	27887
9	Grant in aid to violantuary organizations	रू0 4576716/–	12 स्वैच्छिक संस्थाएँ
10	Human resource development		
11	Ifrastructure development		
12	Grand in aid to Govt. Institutions		
13	Transport Subsidies	रू0 24.17 करोड़	52.01 लाख निःशुल्क यात्राएं
14	Any other scheme	1–शादी विवाह प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में दोनों अथवा लड़की के विकलांग होने पर रू0 20000/– एवं दम्पत्ति में पुरूष के विकलांग होने पर रू0 15000/– का पुरूस्कार दिए जाने का प्रावधान है। कुल बजट- 2.20 करोड़ 2– कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित ऐसे विकलांग जन	1228

		जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रु0 46080 /- तथा शहरी क्षेत्रों मेंरु0 56460 /- प्रति परिवार है को रु0 8000 /- प्रति लाभार्थी कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु दिए जाने का प्रावधान है। 3–दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी के विकलांग जन को दुकान निर्माण हेतु रू0 20000/– तक **(रु0 15000 /-** ऋण व **रु0 5000 /-** अनुदान **)** तथा दुकान संचालन हेतु रु0 10,000 / - तक (रु0 **7500 /-** ऋण व रु0 2500 /- अनुदान) 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है । जिसके लिए वित्तीय वर्ष **2016-17** में रु0 **96.40** लाख बजट का प्रावधान किया गया ।	958

20- Miscellaneous

(i) Wheather rules have notified for carrying out the provisions of the PWD Act ? If Yes, please enclose a copy. If not, please indicate the time by which Rules will be notified :

-हॉ, उत्तर प्रदेश निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी)(प्रथम संशोधन) नियमावली–2014 की प्रति संलग्नक–3 पर संलग्न है।

(ii) Please indicate whether Medical Authorities have been notified in-

a- All PHCs हॉ,
b- All CHCs हॉ,
c- All District Hospitals हॉ,
d- All Civil Hospitals हॉ,
e- All Medical Colleges/Institutions हॉ,

(iii) Whether state has framed a state policy for persons with disabilities? If yes, please provide a copy of the same. If no, what is the current status of it?

-हॉ, विकलांगजन के समग्र विकास हेतु ''राज्य पुनर्वास नीति–2014'' प्रख्यापित है। संलग्नक–4

(iv) Whether building bye-laws has been amended? If not, what are the reasons thereof?

-हॉ, इस सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा शा0सं0 2980/9–आ–1–04–104विविध/99 दिनांक 26 जुलाई 2004 निर्गत किया गया है जिसके अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग जन को **बाधारहित** सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु मानकों का निर्धारण करते हुए एवं उन्हें भवन उपविधि में सम्मिलित करते हुए समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है।

(v) Wheather free/concessional bus passes are allowed to persons with disabilities (Please indicate the number of beneficiaries in each category during the last financial year) :

– **दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग**, उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0रा0सड़क परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु स्मार्ट कार्ड बनाने की कार्यवाही परिवहन निगम द्वारा प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2016–17 में परिवहन निगम की बसों द्वारा 52.01 लाख **दिव्यांगजन** एवं उनके सहवर्तियों को निःशुल्क यात्राएं कराई गईं।